Form No. III

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

**राजस्व वाद सं. 2022/233 बअनवान मगाराम बनाम मीठाराम वगैरा**

**अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये |
|---|---|---|
| 06 08/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 अनुपस्थित। प्रतिवादी अनुपस्थित रहने से जिरह वादी के गवाह से जिरह का अवसर बंद किया गया तथा प्रतिवादी पक्ष की साक्ष्य का अवसर भी बंद करते हुये वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन व वकील वादी की बहस पर मनन के पश्चात ज्ञात है कि वादी द्वारा ग्राम कुमटिया स्थित खसरा नं 391/2 रकबा 0.50 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की है। जिस भूमि पर प्रतिवादी सं. 01 द्वारा वादी की कृषि भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है तथा कृषि भूमि पर लगे पिलर व तारबंदी को तोडकर नुकसान पहुचाया है जिससे प्रतिवादी के विरूद्ध सार्वकालिक निषेधाज्ञा जारी किये जाने की दलील दी जा रही है। इसके विपरित प्रतिवादी सं. 01 द्वारा यह दलील दी जा रही है कि वादग्रस्त भूमि पर पिछले 30–40 वर्ष से कब्जा।काश्त प्रतिवादी सं 01 का चला आ रहा है। वादी ने गलत आवंटन करवाया है। इस भूमि पर वादी का कोई हक अधिकार नही है। वादीपक्ष के कथनों की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में दर्ज इन्द्राज से होती है जिससे वादी प्रतिवादी सं. 01 के विरूद्ध खसरा नंबर 391/2 रकबा 0.50 हेक्टर के संबंध में प्रतिवादी के विरूद्ध सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री पारित कराने का अधिकारी है जिससे तनकी सं 01 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है। तनकी सं. 02 में प्रतिवादी सं. 01 द्वारा जवाब मैं यह उल्लेखित किया गया कि 30–40 वर्ष से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा प्रतिवादी सं 01 का चला आ रहा है। जिसका आवंटन गलत रूप से वादी के नाम किया गया है जो निरस्त योग्य है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में आवंटन से संबंधित जो नियम बने हुये है उसके अनुसार आवंटन कमेंटी मे उपखण्ड अधिकारी के अतिरिक्त अन्य सदस्य भी होते है तथा आवंटन गलत अथवा सही है उसको निरस्त करने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को नहीं है। प्रतिवादी सं 01 द्वारा चाहा गया अनुतोष अपीलीय अनुतोष होने से तनकी सं 02 का विनिश्चयन किया जाना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे है। जब तक प्रतिवादी सं 01 वादी को किये गये आवंटन को अपील के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय से निरस्त नही करवा देता तब तक प्रतिवादी सं 01 इस संबध में काई उजर इस न्यायालय में प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं रहता है। जिससे तनकी सं 02 इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार की नही होने से प्रतिवादी सं 01 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।<br>प्रकरण में कायम दोनो वाद बिन्दुओं को निर्णय के पश्चात वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम कुमटिया स्थित भूमि खसरा नंबर 391/2 रकबा 0.50 हैक्टर वादी के खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि में प्रतिवादी सं 01 किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करे। इस आशय की सार्वकालिक निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी जारी की जाती है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। | |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

# डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

( ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

**अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)**
**बइजलास श्री दिनेश विश्नोई आई.ए.एस.**

**राजस्व वाद प्रकरण Gcms No. 2022/293**

**वादी :**

मगाराम पुत्र लखमारामजी जाति मेघवाल निवासी कुमटीया तहसील बाली जिला पाली

**बनाम**

**प्रतिवादीगण :–**

1. मीठाराम पुत्र लखमाराम जाति मेघवाल निवासी कुमटीया तहसील बाली जिला पाली
2. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

**राजस्व वाद प्रकरण Gcms No. 2022/293**
**वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वादी द्वारा ग्राम कुमटिया स्थित भूमि खसरा नंबर 391/2 रकबा 0.50 हैक्टर किस्म बारानी सोयम वादी के खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि में प्रतिवादी सं 1 किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करे। इस आशय की सार्वकालिक निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी जारी की जाती है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06-08-24 को जारी किया गया।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

( श्री दिनेश विश्नोई )
आराए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner